अपर निजी सचिव (मुख्य) परीक्षा–2021 (महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड, नैनीताल) के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा की प्रक्रिया एवं निर्देशः–

1. आशुलेखन परीक्षा डिक्टेशन की समयावधि **10 मिनट** की होगी, जिसमें अर्ह गति **हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट** एवं **अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट** प्राप्त करने के लिए **हिन्दी आशुलिपि हेतु 800 शब्दों** एवं **अंग्रेजी आशुलिपि हेतु 1000 शब्दों** की विषयवस्तु/गद्यांश मौखिक रूप से बोला जाएगा। आशुलेखन परीक्षा हेतु 01 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन भी दिया जायेगा, जिसका लिप्यांतरण/प्रतिलेखन नहीं किया जाएगा।
2. आयोग द्वारा आशुलिपि परीक्षा हेतु उपलब्ध करायी गई आशुलिपि '**नोटपैड**' पर अभ्यर्थी द्वारा डिक्टेशन आशुलिपि में ही लिखा जाना अनिवार्य है। **लॉगहैंड (हिन्दी/अंग्रेजी)** में लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त मानी जायेगी।
3. हिन्दी आशुलेखन डिक्टेशन में बोली गई विषयवस्तु/गद्यांश को कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण/प्रतिलेखन करने के लिए **70 मिनट** का समय दिया जायेगा तथा अंग्रेजी आशुलेखन डिक्टेशन में बोली गई विषयवस्तु/गद्यांश को कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण/प्रतिलेखन करने के लिए **70 मिनट** का समय दिया जायेगा। यह लिप्यांतरण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा, जो **70 मिनट** पश्चात स्वतः ही बन्द हो जायेगा।
4. आशुलिपि परीक्षा का लिप्यांतरण करने से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बाक्स में लिखेंगे। तत्पश्चात Submit Button पर click करेंगे। उक्त के पश्चात अभ्यर्थी अपने Details as per Record के अन्तर्गत अपना विवरण देख सकते हैं तथा अभ्यर्थियों के लिए दिये गये Instruction पर tick करने के पश्चात Proceed Further for Transcription पर click करके आगे बढ़ेगे।
5. यह सॉफ्टवेयर हिन्दी आशुलिपि लिप्यातरण के लिए **"Kruti Dev-10"** एवं अंग्रेजी आशुलिपि लिप्यांतरण के लिए **"Times New Roman"** Font में रहेगा। अभ्यर्थी सावधानी–पूर्वक टंकण करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में Cut, Copy, Paste **व** Insert द्वारा सिम्बल प्राप्त करने की सुविधा नहीं रहेगी। अभ्यर्थी सिम्बल बनाने के लिए "Shortcut Key" का प्रयोग कर सकते हैं तथा पैराग्राफ बनाने के लिए **Enter** व **Tab Key** का प्रयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर कार्य करते समय **"Mouse"** कार्य नहीं करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में लिखा गया शब्द संशोधित करना चाहता है तो वह "Arrow Key" के माध्यम से उस शब्द तक पहुंच कर संशोधित कर सकता है एवं **बैकस्पेस–'की' (Backspace-Key)** और **डिलिट–"की" (Delete-Key)** का प्रयोग भी किया जा सकता है।
6. सॉफ्टवेयर पर निम्न की–कॉम्बिनेशनस (Key Combinations) का प्रयोग भी वर्जित होगाः–

a- Ctrl+F4	b- Alt+F4
c- Ctrl+Esc	d- Ctrl+Alt+Delete
e- Alt+Tab	f- Alt+ Space
g- Alt+ Esc	h- Right Click Key

i- Start (Window key) +Function key

7. यदि अभ्यर्थी वर्जित 'की' (Key) का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कम्प्यूटर में संचित डाटा/सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कम्प्यूटर से मिटा देता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से एवं आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के विरुद्ध आई0टी0 एक्ट के अधीन भी कार्यवाही की जायेगी।
8. हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपि के लिप्यांतरण किये गये शब्दों में **05 प्रतिशत त्रुटियों (अशुद्धियों)** की छूट दी जायेगी परन्तु **05 प्रतिशत** से अधिक त्रुटियां होने पर अभ्यर्थी सेवायोजन हेतु **अर्ह (Qualify) नही** माना जायेगा।
9. परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल फोन, पेजर एवं इलैक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इत्यादि किसी भी संचार यंत्र का प्रयोग वर्जित है।
10. अभ्यर्थी दूसरे के कम्प्यूटर स्क्रीन को न तो देखेंगे और न ही आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत करते पकड़े जाने या नकल के प्रयास को अनुचित साधन प्रयोग समझा जायेगा तथा अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
11. यदि किसी अभ्यर्थी को आशुलिपि Dictation Demo में कोई समस्या आ रही हो तो उस समस्या का समाधान उसी समय अवश्य करा लें। आशुलिपि का Main Exam/Dictation प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्या का समाधान करा लें।
12. आशुलिपि के लिप्यांतरण हेतु अभ्यर्थी आवंटित कम्प्यूटर सिस्टम के 'की–बोर्ड' (Key Board) को भली–भांति चेक कर संतुष्ट हो जाए एवं यदि कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान पूर्व में ही अवश्य करा लें।

-Sd-

(एस0 एल0 सेमवाल)

प्रभारी सचिव।